सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2013 / 259(100 / 2023) दर्ज तिथिः–02.08.2023

1. बागाराम पुत्र टीलाराम
2. अदराराम पुत्र टीलाराम
3. हराराम पुत्र माधाराम
4. चुनाराम पुत्र माधाराम
5. आदाराम पुत्र किस्तुराराम
6. श्रवण पुत्र किस्तुराराम
7. रमेश पुत्र किस्तुराराम
8. बेसराराम पुत्र चांपाराम
9. ढेलीदेवी पत्नी किस्तुराराम
10. मोहन पुत्र बरजंगा
11. गणपत पुत्र बरजंगा
12. बदूदेवी पत्नी बरजंगा
13. ओखाराम पुत्र गोवाराम
14. रूडाराम पुत्र गोवाराम
15. नागजीराम पुत्र गोवाराम
16. बेचराराम पुत्र चांपाराम
17. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोवाराम
18. भगवानाराम पुत्र भीमाराम
19. काजाराम पुत्र पनाराम
20. चौथाराम पुत्र पनाराम
21. कदनादेवी पत्नी पनाराम

जाति मेघवाल निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. अगरा पुत्र नरीगा
2. अदरा पुत्र पाताराम
3. अमरती पुत्री लिछमणा
4. छगन पुत्र माहिगा
5. छगना पुत्र हुकमा
6. जूठाराम पुत्र पाताराम
7. ताराराम पुत्र पताराम
8. दला पुत्र नरींगा
9. धूखाराम पुत्र माहिंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

10. नारणा पुत्र लिछमणा
11. नारणा पुत्र पाताराम
12. पदमाराम पुत्र हुकमाराम
13. परबता पुत्र वरजोंगा
14. पैलाद पुत्र नरीगा
15. बगाराम पुत्र पाताराम
16. बलवन्ता पुत्र लिछमणा
17. बाबू पुत्र वरजोंगा
18. भैराराम पुत्र शंकरा
19. मनुदेवी पत्नी पाताराम
20. मसरा पुत्र पाताराम
21. मेहराम पुत्र नरीगा
22. माकू पत्नी नरीगा
23. मोडूराम पुत्र शंकरा
24. लाधा पुत्र हुकमा
25. विशनाराम दत्तक पुत्र अणदा
26. सुगा पुत्र लाला
27. सुन्दर पुत्र शंकरा
28. सांवला पुत्र वरजोंगा

जाति मेगवाल निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।

29. अगरा पुत्र बुधाराम
30. आदा पुत्र बुधा
31. केतुदेवी पत्नी प्रभाराम
32. कला पुत्र रणछोड़ा
33. केसा पुत्र गंगदा
34. किस्तुराराम पुत्र अणदाराम
35. किस्तुराराम पुत्र अन्नाराम
36. कोंकू पत्नी करना
37. खेता पुत्र रणछोड़ा
38. गेना पुत्र धूड़ा
39. गेरोंदेवी पत्नी पाताराम
40. गलाराम पुत्र पताराम
41. गोबा पुत्र करना
42. गोबा पुत्र लम्बा
43. गोवाराम पुत्र अन्नाराम
44. छोगाराम पुत्र रावताराम
45. जगदीश पुत्र लच्छाराम
46. जेठा पुत्र अणदा
47. जेरूपाराम पुत्र बुधाराम
48. डाया पुत्र गंगदा
49. तेजाराम पुत्र नाथाराम
50. तेजाराम पुत्र अणदाराम
51. टीकमाराम पुत्र प्रभाराम
52. दीपा पुत्र प्रागा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

53. नगाराम पुत्र नरिंगाराम
54. नरींगा पुत्र गंगदा
55. नाथाराम पुत्र अनाराम
56. नावी पत्नी बुधाराम
57. पूनमाराम पुत्र प्रभाराम
58. परखा पुत्र रणछोड़ा
59. प्रभू पुत्र उका
60. पाता पुत्र अजा
61. पीरा पुत्र अजा
62. भंवरीदेवी पत्नी लछाराम
63. भारा पुत्र हरजी
64. मनराराम पुत्र प्रभाराम
65. मूली पत्नी उका
66. माना पुत्र करमी
67. माला पुत्र कपूरा
68. रामींगा पुत्र हरजी
69. विमला पुत्री लच्छाराम
70. शंकराराम पुत्र पाताराम
71. सांवला पुत्र करना
72. सांवला पुत्र करमी
73. सांवलाराम पुत्र रावताराम
74. हबताराम पुत्र अनाराम
75. हबताराम पुत्र नेथीराम
76. हमीराराम पुत्र पाताराम जाति कलबी
77. कल्याणसिंह पुत्र पीरसिंह
78. नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह
79. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह
80. मालसिंह पुत्र भीमसिंह
81. मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह
82. सागरकंवर पत्नी भीमसिंह
83. हरीसिंह पुत्र भीमसिंह
    जातियान राजपुत निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।
84. बाबूराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी धोबली, तालबानियों की ढाणी

.....असल प्रतिवादीगण

85. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री मदनलाल
प्रतिवादी सं. 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76ः—श्री गंगाराम विश्नोई
शेष प्रतिवादीगण—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

   - कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 84 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
   - कि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 363 व 364 पर वक्त सेटलमेंट वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। लेकिन वक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान अकेले प्रतिवादी संख्या 01 से 84 के पूर्वजों के नाम कर दिया गया।
   - कि वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से किया जाना था। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 83 का मौके पर कब्जा काश्त है। जिसमें उसके रहवासी ढाणिया, चारबाड़े आदि बने हुए है।
   - कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 एवं उनके पूर्वजों का 1/45 हिस्से पर एवं वादीगण संख्या 18 से 21 एवं उनके पूर्वजों का 1/45 हिस्से पर सेटलमेंट से कब्जा काश्त होने से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।
   - कि वर्तमान में भूमि की किमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 84 की नियत में फर्क आ जाने के कारण वादीगण को पैतृक हिस्से से महरूम एवं बेदखल किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 84 वादग्रस्त भूमि का अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अनुपस्थिति प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा मय आपत्ति पेश कर निम्न प्रकार निवेदन किया:—

- कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त का आया हुआ है तथा इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान का वक्त सेटलमेंट से गै.मु.बेरा सहित संयुक्त 1/5 हिस्से पर कब्जा निरंतर चला आ रहा है।
- कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 363 व 364 रकबा 49—12 बीघा मौजा लूणवा जागीर में पैमाईश हुए थे। प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान मुतवफी डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर एवं अन्य सह खातेदारान प्रतिवादीगण के वालिदान द्वारा पैमाईश करवाए थे। तत्समय मौजूद काश्तकारों के कब्जा हिस्सानुसार हिस्से दर्ज किये गये जिसमें प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का स्पष्ट रूप से 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त अनुसर अंकन किया गया। इसी अनुसार मूल खातेदारा डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के देहांत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 वारिसान के रूप में 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है।
- कि प्रथम जमाबंदी संवत 2012—2031 मौजा लूणवा जागीर में राजस्व कार्मिकों की भूल से तत्समय वादग्रस्त खेतों के सहखातेदार कपूरा पुत्र हेमा का 1/40 हिस्सा पृथक से खसरा बंदोबस्त एवं पर्चा लगान अंकन न करके कपूरा वल्द हेमा 1/40 हिस्सा हम प्रतिवादीगण 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के साथ नाम शामिल कर दिया। जबकि कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा पृथक से खसरा बंदोबस्त एवं पर्चा लगान जारी किया जाना था। कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा का अंकन पृथक से नहीं हो पाया ना ही 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान के 1/5 हिस्से के साथ जोड़ा गया। उक्त प्रथम त्रुटि जो लगातार राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है।
- कि वादग्रस्त आराजी के भूप्रबंध के समय बतौर खातेदार एवं काबिज भांभी जाति के खातेदार अवश्य दर्ज हुए थे और हम प्रतिवादी 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के साथ उनके लाला, महिंगा, नरींगा पिसरान डोबरा हिस्सा 1/15, अणदा, हुकमा, लिछमणा पिसरान देवा हिस्सा 1/45 के वारिसान अवश्य सहखातेदार सह काबिज है। वादीगण इनके परिवार से है या नहीं हम प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है।
- कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का 1/5 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त होने के कारण हिस्सा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही वादीगण अपने स्वजातीय प्रतिवादीगण संख्या 01 से 28 के साथ अपना हक हिस्सा साबित करे एवं उनके साथ खातेदारी दर्ज दर्ज किये जाने से हम प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 को कोई आपत्ति नहीं है।

3. प्रकरण में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

    1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर वादी संख्या 01 लगायत 17 का 1/45 तथा वादी संख्या 18 लगायत 21 संयुक्त रूप से 1/45 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने के अधिकारी है।

    .....वादी

    2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादी

    3. आया मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का पूर्व से ही 1/5 हिस्से की घोषणा का दावा विचाराधीन होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के 1/5 हिस्से के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

    .....प्रतिवादी

    4. अन्य दादरसी

    .....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
खसरा नक्शा	खसरा संख्या 364 मौजा भोलागर नगर	प्रदर्शपी—01
खसरा नक्शा	खसरा संख्या 364/1 मौजा भोलागर नगर	प्रदर्शपी—02
जमाबंदी	ग्राम भोलागर नगर खाता संख्या 40	प्रदर्शपी—03
खतौनी बन्दोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—04
पर्चा लगान	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—05
खसरा बंदोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शपी—06

5. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
बागाराम पुत्र टीलाराम	मेगवाल	भोलागर नगर	पी0डब्ल्यू0—1
भगवानाराम पुत्र भोमाराम	मेगवाल	भोलागर नगर	पी0डब्ल्यू0—2

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में बागाराम पुत्र टीलाराम पी.डब्ल्यू.–01, भगवानाराम पुत्र भोमाराम पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 84 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
- कि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 363 व 364 पर वक्त सेटलमेंट वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। लेकिन वक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान अकेले प्रतिवादी संख्या 01 से 84 के पूर्वजों के नाम कर दिया गया।
- कि वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से किया जाना था। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 83 का मौके पर कब्जा काश्त है। जिसमें उसके रहवासी ढाणिया, चारबाड़े आदि बने हुए है।
- कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 एवं उनके पूर्वजों का 1/45 हिस्से पर एवं वादीगण संख्या 18 से 21 एवं उनके पूर्वजों का 1/45 हिस्से पर सेटलमेंट से कब्जा काश्त होने से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।
- कि वर्तमान में भूमि की किमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 84 की नियत में फर्क आ जाने के कारण वादीगण को पैतृक हिस्से से महरूम एवं बेदखल किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 84 वादग्रस्त भूमि का अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- इसके समर्थन में पैरा संख्या 4 में उल्लेखित दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करवाए गए।

7. प्रकरण में बागाराम पुत्र टीलाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरा खेत भोलागर नगर में आया हुआ है जो लगभग 50 बीघा जमीन है। मैं चापा के परिवार से हूं। चापा अमरा के परिवार से है। यह बात सही है कि मैने दावा में वंश वृक्ष पेश नहीं किया है। अज खुद कहा कि दावे में पूरा विवरण दिया है। शपथ पत्र मैने किस दिनांक को लिखा मुझे याद नहीं है। शपथ पत्र मैने जो कहा वैसा ही लिखा। यह बात सही है कि खेत का बंटवारा किया हुआ नहीं है। अज खुद कहा कि वादीगण का संयुक्त कब्जा है। यह बात सही है कि विवाद ग्रस्त खेत में हम वादी गण का खेत में घर आवासीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

बना हुआ नहीं है। अज खुद कहा कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण किसी का घर बना हुआ नहीं है। उक्त खसरे में हम वादीगण का 1/45 हिस्सा होता है तथा मेरे दादा के भाई देवा के परिवार का भी 1/45 हिस्सा आता है। लाला, माईंगा, नरीगा पिसरान डामरा के परिवार का भी 1/45 हिस्सा आता है। मैने दावे के साथ मेरा आधार कार्ड एवं खेत की जमाबंदी पेश की है। दावे के साथ कुल कितने दस्तावेज पेश किए मुझे याद नहीं है। अज खुद कहा कि 6–7 दस्तावेज पेश किए है। यह बात सही है कि प्रदर्श 6 में ए से बी भग में कपूरा पुत्र हेमा का 1/40 हिस्सा स्पष्ट रूप से अंकित है। यह बात सही है कि डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के वारिसान इस दावे में प्रतिवादीगण के रूप में इस दावे में अंकित है। यह बात सही है कि सी से डी हिस्से में डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 1/5 हिस्सा स्पष्ट रूप से अंकित है और उसी अनुसार कब्जा है। अज खुद कहा कि वर्तमान में किसी का कब्जा नहीं है। यह बात सही है कि हम वादीगण डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा कलबियों के हिस्से में से कोई जमीन नहीं मांगते है। यह बात सही है कि हम वादीगण का कितना हिस्सा बनता है मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। यह कहना गलत है कि हम वादीगण का वादग्रस्त खेतों में किसी प्रकार का कब्जा या हिस्सा नहीं हो।

8. प्रकरण में भगवानाराम पुत्र भोमाराम पी0डब्ल्यू0–2 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मैं बिलकुल अनपढ़ हूं। विवादग्रस्त खेत का खसरा संख्या 364 है। खेत तो एक ही है लेकिन हिस्से ज्यादा है। हम वादीगण के पड़दादा का नाम अमराराम है। मैंने शपथ पत्र किस दिनांक को पेश किया मुझे याद नहीं है। शपथ पत्र मेरे वकील साहब ने लिखाया था और मैनें उस पर अगुष्ठ निशान किए थे। यह बात सही है कि विवादग्रस्त खेत में हम वादीगण की कोई ढाणी वगैरा बनी हुई नहीं है। विवादग्रस्त आराजी में हम वादीगण का 1/5 हिस्सा है जिसमें हम तीन भाईयों का परिवार है। यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, व 76 का हिस्सा विवादग्रस्त खेत में है। यह कलबी है तथा इन प्रतिवादीगण का वादग्रस्त खेत में 1/5 वां हिस्सा है। यह बात सही है कि कपूरा वल्द हेमा के परिवार के सदस्य उक्त प्रतिवादीगण के परिवार के साथ खानदान में नहीं था। यह बात सही है कि डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का 5 वां हिस्सा खातेदारी में शुरू से अर्थात वक्त सेटलमेंट से दर्ज है। यह बात सही है कि हम वादीगण, प्रतिवादीगण 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, व 76 के वालिदान(पूर्वपुरूष) डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के हिस्से में से कोई जमीन नहीं मांगते है।

9. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवाए।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
पर्चा लगान	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शडी–01
खसरा बंदोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शडी–02
खतौनी बन्दोबस्त	ग्राम लूणवा जागीर	प्रदर्शडी–03

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, व 76 द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह किए–

क्र.स.	नाम	जाति	निवासी	गवाह
1	केशाराम पुत्र गंगदाराम	कलबी	भोलागर नगर	डी0डब्ल्यू0–01
2	अगराराम पुत्र बधाराम	कलबी	भोलागर नगर	डी0डब्ल्यू0–02
3	पूनमाराम पुत्र रामिगाराम	कलबी	भोलागर नगर	डी0डब्ल्यू0–03

11. प्रकरण में केशाराम पुत्र गंगदाराम डी0डब्ल्यू0–01, अगराराम पुत्र बधाराम डी0डब्ल्यू0–2, पूनमाराम पुत्र रामिगाराम डी0 डब्ल्यू–03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त का आया हुआ है तथा इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान का वक्त सेटलमेंट से गै.मु.बेरा सहित संयुक्त 1/5 हिस्से पर कब्जा निरंतर चला आ रहा है।
- कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 363 व 364 रकबा 49–12 बीघा मौजा लूणवा जागीर में पैमाईश हुए थे। प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान मुतवफी डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर एवं अन्य सह खातेदारान प्रतिवादीगण के वालिदान द्वारा पैमाईश करवाए थे। तत्समय मौजूद काश्तकारों के कब्जा हिस्सानुसार हिस्से दर्ज किये गये जिसमें प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा का स्पष्ट रूप से 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त अनुसर अंकन किया गया। इसी अनुसार मूल खातेदारा डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के देहांत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 वारिसान के रूप में 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है।
- कि प्रथम जमाबंदी संवत 2012–2031 मौजा लूणवा जागीर में राजस्व कार्मिकों की भूल से तत्समय वादग्रस्त खेतों के सहखातेदार कपूरा पुत्र हेमा का 1/40 हिस्सा पृथक से खसरा बंदोबस्त एवं पर्चा लगान अंकन न करके कपूरा वल्द हेमा 1/40 हिस्सा हम प्रतिवादीगण 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान डूंगरा, हरजी, करना पिसरान मगा के साथ नाम शामिल कर दिया। जबकि कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा पृथक से खसरा बंदोबस्त एवं पर्चा लगान जारी किया जाना था। कपूरा वल्द हेमा का 1/40 हिस्सा का अंकन पृथक से नहीं हो पाया ना ही 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के वालिदान के 1/5 हिस्से के साथ जोड़ा गया। उक्त प्रथम त्रुटि जो लगातार राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादग्रस्त आराजी के भूप्रबंध के समय बतौर खातेदार एवं काबिज भांभी जाति के खातेदार अवश्य दर्ज हुए थे और हम प्रतिवादी 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 के साथ उनके लाला, महिंगा, नरींगा पिसरान डोबरा हिस्सा 1/15, अणदा, हुकमा, लिछमणा पिसरान देवा हिस्सा 1/45 के वारिसान अवश्य सहखातेदार सह काबिज है। वादीगण इनके परिवार से है या नहीं हम प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है।
- कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 363/0.0567 है0, 364/6.1188 है0, 364/1/1.7968 है0, 364/2/0.1133 है0 कुल रकबा 8.0856 है0 मौजा भोलागर नगर पटवार हल्का लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का 1/5 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त होने के कारण हिस्सा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही वादीगण अपने स्वजातीय प्रतिवादीगण संख्या 01 से 28 के साथ अपना हक हिस्सा साबित करे एवं उनके साथ खातेदारी दर्ज दर्ज किये जाने से हम प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 को कोई आपत्ति नहीं है।

12. प्रकरण में केशाराम पुत्र गंगदाराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि वादीगण और मेरा खेत संयुक्त खातेदारी का है। वादग्रस्त आराजी भोलागर राजस्व गांव में है। शपथ पत्र पेश किए दो साल हुए ह। अज खुद कहा कि आज पेश किया है। वादग्रस्त खेत का खसरा संख्या 363 व 364 है। यह बात सही है कि उक्त खसरे का पूर्व में अलग से दावा पेश किया हुआ है। उक्त हमारे द्वारा पेश दावे में पूर्व में हक हिस्सा को लेकर इस दावे के वादीगण से कोई हिस्से की मांग नहीं है केवल हमारे भाईयों से हक हिस्से बाबत पेश है। उक्त आराजी में हमारा पांचवा हिस्सा है। यह बात सही है कि वादीगण उक्त आराजी में अपना हिस्सा घेषित करवाते है तो हम प्रतिवादीगण जवाबदेहंदा को कोई ऐतराज नहीं है। यह बात सही है कि वादीगण अपने हिस्से में और हम अपने हिस्से में काबिज काश्त है। वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाते है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण मेघवाल समाज से है और हम कलबी समाज से है।

13. प्रकरण में अगराराम पुत्र बधाराम डी0डब्ल्यू0–2 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि वादीगण एवं हमारी उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तेनी जमीन है। हम प्रतिवादी जवाबदेहंदा का वादग्रस्त खेत में 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त का है। उक्त वादग्रस्त आराजी में मेघवालों समाज का और हम प्रतिवादी कलबी जवाबदेहंदा का कब्जा अलग–अलग है। यह बात सही है कि उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में एक दावा पेश कर रखा है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। यह कहना सही है कि उक्त आराजी के संबंध में विचाराधीन दावे में हमारी वादीगण से कोई आपत्ति नहीं है तथा पूर्व में पेश दावे में हमारे भाईयों के संबंध में पेश है। वादग्रस्त खेतों का खसरा संख्या 363, 364 है। वादग्रस्त खेतों की किस्म के बारे में मुझे जानकारी नही है। अज खुद कहा कि काश्त योग्य खेत है। वादग्रस्त दोनों खेत 49 बीघा 19 बिस्वा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने अपने 1/45 हिस्से में अपना हिस्सा मांगा है जिसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। पुर्व में भी हमारे द्वारा उक्त आराजी के संबंध में पेश दावा अनवान हबता बनाम मनरा की पेशी दिनांक आज ही है।

14. प्रकरण में पूनमाराम पुत्र रामिगाराम डी0 डब्ल्यू–03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह बात सही कि वादग्रस्त भूमि कलबी जाति, राजपूत जाति भांभी मेघवाल जाति तीनों जाति की संयुक्त पैतृक जमीन है। विवादग्रस्त खेतान का खसरा संख्या 363 व 364 है जो वर्तमान समय में भोलागर नगर में स्थित है। वादग्रस्त खेतान में 1/5 हिस्सा भांभी/मेघवाल जाति वादीगण के खातेदारों का है। यह बात सही है कि मेघवाल जाति के खातेदारों से हमे उजर एतराज नहीं है। वादीगण का हिस्सा कितना है। जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि हम प्रतिवादीगण जवाबदेंहदा कलबी जाति का दावा पूर्व में पेश है जिसकी भी आज पेशी है जिस अनवान हबता वगैरा बनाम मनरा वगैरा है जो हमारी कलबी जाति के विरूद्ध पेश है। उदक्त आराजी खसरा संख्या 363, 364 रकबा 49–19 बीघा में से टीला माधा, बेसरा, बरजुगा व गोवा तथा भीमा पुत्र अमरा अपना अपना 1–45 हिस्सा मांग रहे हो तो वह बात सही है। उक्त आराजी में वादीगण अपना हिस्स की घोषणा करवाते है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

15. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया।

16. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैः–

    1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर वादी संख्या 01 लगायत 17 का 1/45 तथा वादी संख्या 18 लगायत 21 संयुक्त रूप से 1/45 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

17. प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार निहित रहे है।

18. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

19. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> "Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
>
> When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> "29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

> Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:
>
> burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

20. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

21. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

22. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार निहित रहे है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा पर कब्जा काश्त होने एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार निहित होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किए जाने की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।

23. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श–05 पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा अंकित नहीं है। वादी द्वारा प्रदर्श–06 खसरा बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा अंकित है। वादी द्वारा प्रदर्श–05 खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा अंकित नहीं है। उक्त प्रदर्श–1, 2 व 3 राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त राजकीय दस्तावेज होने के कारण उक्त दस्तावेज का साक्ष्य में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

24. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादी के द्वारा दो गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रथम गवाह बागाराम पुत्र टीलाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी सामलाती आराजी है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। गवाह का अभिकथन है कि उक्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा निहित है। उक्त गवाह का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रकरण में द्वितीय गवाह भगवानाराम पुत्र भोमाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त गवाह ने भी समान परीक्षण किया है। उक्त गवाह का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रकरण में वादी द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा तीन गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रथम गवाह केसाराम पुत्र गंगदाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी सामलाती आराजी है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। गवाह का अभिकथन है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रकरण में द्वितीय गवाह अगरा राम पुत्र भधाराम व तृतीय गवाह पूनमा राम पुत्र रामिंगाराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त गवाह ने भी समान परीक्षण किया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी के गवाहों के द्वारा स्वयं के खातेदारी अधिकारों के तथ्य के संबंध में अभिवचन किए गए हैं। इस प्रकार प्रतिवादी के गवाह का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है।

26. प्रकरण में प्रदर्शपी 05 पर्चा लगान बंदोबस्त संवत 2012–2031 तथा प्रदर्शपी–02 खसरा बंदोबस्त के अवलोकन से ज्ञात है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा अंकित नहीं है। परंतु प्रदर्शपी–06 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा अंकित है। उक्त प्रदर्शपी 06 खसरा बंदोबस्त के अनुसार ही पर्चा लगान व खतौनी बदोबस्त तैयार किया जाना अपेक्षित था। यहां उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान पहले खसरा बंदोबस्त को तैयार करने के दौरान संबंधित काश्तकार का मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार रकबा निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात खसरा बंदोबस्त के आधार पर आपत्ति लेते हुए पर्चा लगान जारी किया जाता है। तत्पश्चात काश्तकार का पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त के आधार पर बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है।

27. इस प्रकार स्पष्ट है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय खसरा बंदोबस्त के आधार पर ही पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इस आधार पर वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा खसरा बंदोबस्त में अंकित किया गया था। इसी हिस्सा अनुसार बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाना अपेक्षित था। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के पूर्वज देवा वल्द अमरा, वादीगण संख्या 01–17 के पूर्वज भीमा वल्द अमरा व वादीसंख्या 18–47 के पूर्वज चांपा वल्द अमरा आपस में सगे भाई थे। जब बंदोबस्त द्वारा मुतनाजा आराजी के खसरा बंदोबस्त में प्रतिवादी के पूर्वज देवा वल्द अमरा, वादीगण संख्या 01–17 के पूर्वज भीमा वल्द अमरा व वादीसंख्या 18–47 के पूर्वज चांपा वल्द अमरा का अंकन किया है तो पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त में वादीगण संख्या 01–17 के पूर्वज भीमा वल्द अमरा व वादीसंख्या 18–47 के पूर्वज चांपा वल्द अमरा के अंकन को छोडते हुए केवल प्रतिवादी के पूर्वज देवा वल्द अमरा का अंकन करने का आधार स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार बंदोबस्त द्वारा मुतनाजा आराजी के खसरा बंदोबस्त में प्रतिवादी के पूर्वज देवा वल्द अमरा, वादीगण संख्या 01–17 के पूर्वज भीमा वल्द अमरा व वादीसंख्या 18–47 के पूर्वज चांपा वल्द अमरा का अंकन किया है तो पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त में वादीगण संख्या 01–17 के पूर्वज भीमा वल्द अमरा व वादीसंख्या 18–47 के पूर्वज चांपा वल्द अमरा के अंकन को छोडते हुए केवल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी के पूर्वज देवा वल्द अमरा का अंकन नहीं किया जाना एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। उक्त लिपिकीय त्रुटि काबिल–ए–दुरूस्त है। उक्त खसरा बंदोबस्त में अंकित हिस्से को बंदोबस्त प्रक्रिया के समय दुरूस्त करवाने या चुनौती देने के किसी प्रकार के दस्तावेज व साक्ष्य को प्रस्तुत करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इसके साथ ही वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य खसरा बंदोबस्त से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी पर है कि वह मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा नहीं होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

28. इस संबंध में प्रतिवादी उक्त खसरा बंदोबस्त में अंकित हिस्से को बंदोबस्त प्रक्रिया के समय दुरूस्त करवाने या चुनौती देने के किसी प्रकार के दस्तावेज व साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहे है। साथ ही प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा नहीं होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

29. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा होने के तथ्य को साबित करता है। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–6 खसरा बंदोबस्त एक सार्वजनिक/राजकीय दस्तावेज होने के कारण मजबूत साक्ष्य प्रतीत होता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा होने के तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन (Onus of Proof) का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहा है। इस प्रकार वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

30. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः—

> 2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
>
> .....वादीगण

31. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 02 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

32. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

	आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

33. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण का तनकी संख्या 01 स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 को साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार उक्त तनकीयात वादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

34. इस संबंध में तनकी संख्या 03 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः–

> 3. आया मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76 का पूर्व से ही 1/5 हिस्से की घोषणा का दावा विचाराधीन होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के 1/5 हिस्से के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।
>
> .....प्रतिवादीगण

35. प्रकरण में तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त तनकी का दावा से कोई संबंध नहीं है। उक्त तनकी के संबंध में वादी का पृथक से दावा हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा से प्रतिवादी के मुतनाजा आराजी में हक हिस्से पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। इस कारण इस तनकी पर विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

36. निष्कर्षतः प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर पूर्व से ही निहित वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वादीगण संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक इस कदर मंजूर किया जाता है कि मौजा भोलागर नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा के 1/45 हिस्से एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा के 1/45 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीगण के उक्त अधिकारों की घोषणा के पश्चात वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा के अनुरूप मुतनाजा आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2013 / 259(100 / 2023) दर्ज तिथिः–02.08.2023

1. बागाराम पुत्र टीलाराम
2. अदराराम पुत्र टीलाराम
3. हराराम पुत्र माधाराम
4. चुनाराम पुत्र माधाराम
5. आदाराम पुत्र किस्तुराराम
6. श्रवण पुत्र किस्तुराराम
7. रमेश पुत्र किस्तुराराम
8. बेसराराम पुत्र चांपाराम
9. ढेलीदेवी पत्नी किस्तुराराम
10. मोहन पुत्र बरजंगा
11. गणपत पुत्र बरजंगा
12. बदूदेवी पत्नी बरजंगा
13. ओखाराम पुत्र गोवाराम
14. रूडाराम पुत्र गोवाराम
15. नागजीराम पुत्र गोवाराम
16. बेचराराम पुत्र चांपाराम
17. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोवाराम
18. भगवानाराम पुत्र भीमाराम
19. काजाराम पुत्र पनाराम
20. चौथाराम पुत्र पनाराम
21. कदनादेवी पत्नी पनाराम

जाति मेघवाल निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. अगरा पुत्र नरीगा
2. अदरा पुत्र पाताराम
3. अमरती पुत्री लिछमणा
4. छगन पुत्र माहिगा
5. छगना पुत्र हुकमा
6. जूठाराम पुत्र पाताराम
7. ताराराम पुत्र पताराम
8. दला पुत्र नरींगा
9. धूखाराम पुत्र माहिंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

10. नारणा पुत्र लिछमणा
11. नारणा पुत्र पाताराम
12. पदमाराम पुत्र हुकमाराम
13. परबता पुत्र वरजोंगा
14. पैलाद पुत्र नरीगा
15. बगाराम पुत्र पाताराम
16. बलवन्ता पुत्र लिछमणा
17. बाबू पुत्र वरजोंगा
18. भैराराम पुत्र शंकरा
19. मनुदेवी पत्नी पाताराम
20. मसरा पुत्र पाताराम
21. मेहराम पुत्र नरीगा
22. माकू पत्नी नरीगा
23. मोडूराम पुत्र शंकरा
24. लाधा पुत्र हुकमा
25. विशनाराम दत्तक पुत्र अणदा
26. सुगा पुत्र लाला
27. सुन्दर पुत्र शंकरा
28. सांवला पुत्र वरजोंगा

जाति मेगवाल निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।

29. अगरा पुत्र बुधाराम
30. आदा पुत्र बुधा
31. केतुदेवी पत्नी प्रभाराम
32. कला पुत्र रणछोड़ा
33. केसा पुत्र गंगदा
34. किस्तुराराम पुत्र अणदाराम
35. किस्तुराराम पुत्र अन्नाराम
36. कोंकू पत्नी करना
37. खेता पुत्र रणछोड़ा
38. गेना पुत्र धूड़ा
39. गेरोंदेवी पत्नी पाताराम
40. गलाराम पुत्र पताराम
41. गोबा पुत्र करना
42. गोबा पुत्र लम्बा
43. गोवाराम पुत्र अन्नाराम
44. छोगाराम पुत्र रावताराम
45. जगदीश पुत्र लच्छाराम
46. जेठा पुत्र अणदा
47. जेरूपाराम पुत्र बुधाराम
48. डाया पुत्र गंगदा
49. तेजाराम पुत्र नाथाराम
50. तेजाराम पुत्र अणदाराम
51. टीकमाराम पुत्र प्रभाराम
52. दीपा पुत्र प्रागा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

53. नगाराम पुत्र नरिंगाराम
54. नरींगा पुत्र गंगदा
55. नाथाराम पुत्र अनाराम
56. नावी पत्नी बुधाराम
57. पूनमाराम पुत्र प्रभाराम
58. परखा पुत्र रणछोड़ा
59. प्रभू पुत्र उका
60. पाता पुत्र अजा
61. पीरा पुत्र अजा
62. भंवरीदेवी पत्नी लछाराम
63. भारा पुत्र हरजी
64. मनराराम पुत्र प्रभाराम
65. मूली पत्नी उका
66. माना पुत्र करमी
67. माला पुत्र कपूरा
68. रामींगा पुत्र हरजी
69. विमला पुत्री लच्छाराम
70. शंकराराम पुत्र पाताराम
71. सांवला पुत्र करना
72. सांवला पुत्र करमी
73. सांवलाराम पुत्र रावताराम
74. हबताराम पुत्र अनाराम
75. हबताराम पुत्र नेथीराम
76. हमीराराम पुत्र पाताराम जाति कलबी
77. कल्याणसिंह पुत्र पीरसिंह
78. नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह
79. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह
80. मालसिंह पुत्र भीमसिंह
81. मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह
82. सागरकंवर पत्नी भीमसिंह
83. हरीसिंह पुत्र भीमसिंह
    जातियान राजपुत निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी।
84. बाबूराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी धोबली, तालबानियों की ढाणी

.....असल प्रतिवादीगण

85. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री मदनलाल
प्रतिवादी सं. 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 54, 58, 63, 68, 70, 75, 76ः—श्री गंगाराम विश्नोई
शेष प्रतिवादीगण—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक इस कदर मंजूर किया जाता है कि मौजा भोलागर नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित मुतनाजा आराजी में वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा के 1/45 हिस्से एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा के 1/45 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीगण के उक्त अधिकारों की घोषणा के पश्चात वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वज टीला, माधा, बेसरा, बरजोगा व गोवा का 1/45 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 18 से 21 के पूर्वज भीमा पुत्र अदरा का 1/45 हिस्सा के अनुरूप मुतनाजा आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested